(173)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10 2012/अग्रहायण 19, 1934

No. 630] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2012/AGRAHAYANA 19, 1934

IndiaCourts

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 885(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का पंजाब अधिनियम सं. 23) को एतद्द्वारा निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

संपूर्ण अधिनियम में "पंजाब श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2010" शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के लिए "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित पंजाब श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2010" शब्द, कोष्ठक एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का पंजाब अधिनियम सं. 23)

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा यह अधिनियमित हो:—

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2010 होगा। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।	संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
2 पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 में, धारा 9-क की उप-धारा (1) में "एक रुपए " एवं "दो रुपए" शब्दों के लिए क्रमश: "दो रुपए" और "चार रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।	1965 का पंजाब अधिनियम 17 की धारा 9-क में संशोधन

[फा. सं. यू-11020/2/2012-यूटीएल]

के. के. पाठक संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2012

G.S.R. 885(E).— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Labour Welfare Fund (Second Amendment) Act, 2010 (Punjab Act No. 23 of 2011), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely :—

Modifications

Throughout the Act, for the words, brackets and figures, "The Punjab Labour Welfare Fund (Second Amendment) Act, 2010", the words, brackets and figures "The Punjab Labour Welfare Fund (Second Amendment) Act, 2010, as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

Annexure

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (SECOND AMENDMENT) ACT, 2010 (PUNJAB ACT NO. 23 OF 2011) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Second Amendment) Act, 2010. (2) It shall come into force at once.	Short title and commencement
2. In the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in Section 9-A, in sub-section (1), for the words, "one rupee" and "two rupees", the words "two rupees" and "four rupees" shall, respectively, be substituted.	Amendment in Section 9-A of Punjab Act 17 of 1965.

[F. No. U-11020/2/2012-UTL]

K.K. PATHAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.